

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल  
**व्यक्तिगत ऋण का आवेदन-पत्र**  
 ( केवल स्थाई कर्मचारी ही आवेदन करें )  
 ( अधूरा कटिंग आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा )

अध्यक्ष,  
 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक  
 कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,  
 भोपाल ( म.प्र. )  
 महोदय,

क्रमांक

मैं ..... पिता/पति .....

अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे निम्न कारण से.....  
 रु. .... ( शब्दों में रु. ....केवल)

व्यक्तिगत ऋण की आवश्यकता है।

मैं अपेक्स बैंक की ..... शाखा/मुख्यालय/जिला सहकारी केन्द्रीय  
 बैंक .....में कार्यरत हूँ।

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी मासिक आय एवं देनदारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है ( बैंक द्वारा जारी अद्यतन 4 माह का  
 वेतन पत्रक की स्व. प्रमाणित प्रति संलग्न है। )

1. आय का विवरण	2. देनदारी / कटौती का विवरण-		
मूल वेतन रु. ....	जीवन बीमा की किश्त रु. ....	भविष्य निधि किश्त रु. ....	.....
महंगाई भत्ता रु. ....	जीवन बीमा की ऋण किश्त रु. ....	सायकल स्कूटर /कार ऋण किश्त रु. ....	.....
मकान किराया रु. ....	मकान भाड़ा रु. ....	अन्य समस्त ऋणों की कटौती रु. ....	.....
अन्य भत्ते रु. ....	साख संस्था ऋण किश्त रु. ....		
<b>कुल आय रु. ....</b>	<b>कुल कटौती योग रु. .... शुद्ध प्राप्त वेतन रु. ....</b>		

मुझे व्यक्तिगत ऋण के समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मैं बचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी समान किश्तों  
 में कर दूंगा/दूंगी। मैंने दो जमानतदार के प्रतिभूति-बंध-पत्र भी संलग्न कर दिये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार ऋण स्वीकृति कर अनुग्रहीत करें।

भवदीय

दिनांक : .....

हस्ताक्षर ऋणी .....

स्थान : .....

नाम ..... पद .....

पदस्थी स्थान ..... दिनांक .....

**नियोक्ता का प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुं. .... पिता/पति .....

बैंक के रिकार्ड के अनुसार दिनांक ..... से बैंक में कार्यरत हैं। (दैनिक वेतन की अवधि न दर्शाये) एवं दिनांक .....

को उसकी सेवा स्थाई की गई है तथा सेवा निवृत्ति का दिनांक ..... है। बैंक रिकार्ड के अनुसार इनकी जन्मतिथि  
 दिनांक ..... है।

स्थान : .....

नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

दिनांक : .....

# DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.....

Date.....

On demand, I.....

Promise to pay the madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit,

Bhopal or order the sum of Rs. ....(Rupees) .....

.....only) with interest thereon at the rate of .....%

per annum for value received

Rs. ....



**Borrower :-**

**Signature**.....

**Name** .....

**Address** .....

.....



प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहाकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,

भोपाल

## : ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांक .....को प्राप्त किये गये ऋण राशि रू. ....

की नियमित मासिक किश्त राशि रू .....प्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये । किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये ।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्यूटी , समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्त योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें ।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा ।

गवाह :

( ऋणी )

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पूरा नाम.....

पद .....

पद .....

स्थान .....

स्थान .....

दिनांक .....

दिनांक .....



प्रति,

प्रबंधक संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

द्वारा -

अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल

## जमानतदार (प्रतिभू) बंधपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से श्री

उनके ऋण प्रार्थना-पत्र दिनांक..... पर म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के लिए जमानतदार के रूप में स्वयं को वचनबद्ध करते हैं। तदनुसार हम वचन देते हैं कि यदि ऋणी किसी प्रकार से ऋण किश्त ब्याज अथवा अन्य व्यय समिति को समय पर नहीं चुकायेगा/चुकायेगी, तब हम हमारे उत्तराधिकारी, रिक्तसाधक, निवर्तक, कार्यपालक इत्यादि समिति की उपविधियों एवं समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अधीन ऋणी पर बकाया रकम समिति की इच्छा पर एक मुश्त अथवा ऐसी किश्तों में जिन्हें समिति निर्धारित करे समिति को संयुक्त रूप अथवा अलग-अलग चुकाने को बाध्य है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह समिति में निहित हमारे किसी हित रकम को जब्त कर ले एवं बकाया ऋण से उसका समायोजन कर ले। समिति को यह भी अधिकार है कि ऋण की राशि हमारे वेतन सह समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अथवा अन्य आय/निजी संपत्ति से वसूल करे। हम अपने नियोक्ता, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., को यह अधिकार देते हैं कि हमारे जीवनकाल में सेवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, त्यागपत्र के कारण सेवा में न रहने पर अथवा मरणोपरांत म.प्र. राज्य सहकारी बैंक हमारे वेतन, लाभाना, समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अन्य आय से सहकारी समिति की इच्छानुसार एक मुश्त अथवा किश्तों में ऋण की संपूर्ण रकम वसूल कर समिति को भेज दें। हम संयुक्त रूप से यह अधिकार/अनुमति देते हैं कि ऋण मूल अनुबंध में ऋण की किश्त चुकाने की अवधि में बढ़ी ब्याज दर में परिवर्तन एवं ऋणों से अन्य कोई समझौता कर सकेगी जिसकी हमें पूर्व सूचना अथवा हमारी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा यह उसी प्रकार हम पर संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग बाध्य रहेगा जैसा कि हमने मूल रूप से वचन दिया था।

गवाह नं. (एक)

1. जमानतदार (प्रतिभू)

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	जन्मतिथि.....
नाम.....	नाम.....	सेवाग्रहण तिथि.....
पद.....	पद.....	स्थायी होने की तिथि.....
दिनांक.....	दिनांक.....	सेवानिवृत्ति की तिथि.....

गवाह नं. (दो)

2. जमानतदार (प्रतिभू)

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	जन्मतिथि.....
नाम.....	नाम.....	सेवाग्रहण तिथि.....
पद.....	पद.....	स्थायी होने की तिथि.....
दिनांक.....	दिनांक.....	सेवानिवृत्ति की तिथि.....

### नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जमानतदारों द्वारा सेवा संबंधी दी गई जानकारी बैंक में संधारित रिकार्ड के अनुसार सही है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा



प्रति,  
प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा  
अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक  
कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या.  
भोपाल

## जमानतदार (प्रतिभू) का अधिकार पत्र

महोदय,

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल द्वारा दिनांक..... को

श्री ..... (ऋणी) को प्रदत्त ऋण राशि रु.....

शब्दों में रुपये..... का/की मैं/हम प्रतिभू हूँ/हैं अतः यदि ऋणी निश्चित तिथि तक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की सेवा से त्यागपत्र/पदच्युत/सेवानिवृत्त अथवा अन्य किन्हीं भी कारणों से सहकारी साख समिति का ऋण समय पर नहीं चुकाता है तो मैं/हम उक्त ऋण, ब्याज एवं अन्य खर्चों को चुकाने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे। हम/मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार देते हैं/देता हूँ/ कि हमारे/मेरे वेतन से अथवा और हमें/मुझे दिये जाने वाले समूह बीमा, ग्रेड्युटी, अवकाश नगदीकरण या अन्य भुगतान में से म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल को उक्त ऋण खाता पेटे देय बकाया राशि के विरुद्ध जमा करने भेज दें ताकि श्री.....

को दिये गये ऋण रु. .... की मय ब्याज सहित राशि चुकाई जा सके।

हम/मैं वचन देते हैं/देता हूँ/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र तब तक वापस अथवा निरस्त नहीं होगा जब तक श्री.....

का ऋण, ब्याज एवं अन्य खर्चों की बकाया रकम म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल को पूर्णतः चुका नहीं दी जाती और इस आशय का म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर दिया जाता।

आपका/आपकी विश्वसनीय

गवाह नं. (एक)

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

स्थान .....

दिनांक .....

गवाह नं. (दो)

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

स्थान .....

दिनांक .....

प्रतिभू (एक)

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

स्थान .....

दिनांक .....

प्रतिभू (दो)

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद .....

स्थान .....

दिनांक .....

## वचन-पत्र

अध्यक्ष,  
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी  
सहकारी साख समिति मर्यादित,  
भोपाल ( म.प्र. )

महोदय,

व्यक्तिगत ऋण के उपयोग बावत् मैं वचन देता हूँ /देती हूँ कि म.प्र. राज्य सकारी बैंक कर्मचारी सहाकारी साख समिति मर्या. भोपाल से लिये गये व्यक्तिगत ऋण की राशि रूपये .....शब्दों में रू. .... ) से मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिये गये विवरण के अनुसार उपयोग करूंगा/करूंगी ।

भोपाल,

दिनांक .....

भवदीय

सदस्य के हस्ताक्षर .....

सदस्य के नाम .....

## जमानतदार ( प्रतिभू ) का विवरण

नाम प्रतिभू	1. ....	2. ....
मूल वेतन	.....	.....
मंहगाई भत्ता	.....	.....
मकान किराया	.....	.....
अन्य भत्ते	.....	.....
योग	.....	.....
मासिक वेतन से कटौती	.....	.....
समस्त कटौती के पश्चात प्राप्त वेतन रू.	.....	.....



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल  
ऋणी द्वारा निष्पादित वचन-पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करता/करती हूँ कि म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल द्वारा स्वीकृत मेरे ऋण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उल्लेखित शर्तों एवं संस्था के उपनियमों के अधीन रूपये .....

शब्दों में रू. .... मुझे प्राप्त हो गये हैं।

2. मैं स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग मेरे प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए करने हेतु वचनबद्ध हूँ।
3. मैं वचन देता हूँ कि प्रत्येक माह किश्त के रूप में रू. .... एवं ब्याज की यह रकम उस दर पर जिसे समिति समय-समय पर निश्चित करे चुकाऊँगा/ चुकाऊँगी।
4. मैं वचन देता/देती हूँ कि निश्चित तिथि अथवा तिथियों पर ऋण चुकता कर दूँगा/दूँगी तथा समिति के वर्तमान उपनियमों का पालन करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
5. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी साधक निवर्तक कार्यपाल समिति के नियमों के अधीन बकाया ऋण चुकाने के लिए बाध्य रहेंगे।
6. लगातार तीन महा की किश्त न चुकाने पर समिति का अधिकार होगा कि ब्याज सहित बकाया राशि एवं अन्य व्यय एक मुश्त में चुकाने हेतु बाध्य कर सकेगी।
7. किसी भी कारणवश वेतन से मासिक ऋण किस्त चुकाया नहीं हो पाता है तो मैं सीधे ही समिति ऋण की रकम एवं ब्याज देने हेतु बाध्य हूँ।
8. मेरे मृत्यु/सेवानिवृत्त सेवा से त्याग पत्र/पदच्युत अथवा मासिक किश्त चुकाने में भूल करने के कारण समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि समिति में किसी भी रूप में निहित मेरे/हित/रकमों को बिना मुझे अथवा उत्तराधिकारी क/प्रतिनिधि को सूचित किसे जब्त कर लें।
9. मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि मेरी मृत्यु/सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/पदच्युत भूल होने की स्थिति में मेरे वेतन, बकाया वेतन, बोनस ग्रेच्युटी अथवा अन्य देय जिसकी मुझे पात्रता हो कि राशि से समिति के बकाया ऋण एवं ब्याज की रकम वसूल कर समिति को भुगतान कर दें।
10. मैं वचन देता/देती हूँ कि जब तक ऋण और ब्याज की रकम अथवा कोई अंश बिना चुकता रह जायेगा तब तक मैं वेतन से भुगतान करने वाले अधिकार वापस नहीं लूँगा/लूँगी अथवा उसको निरस्त नहीं कर सकूँगा/सकूँगी।



11. मैं समिति को अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि ऋण भुगतान में चूक करने की स्थिति में यह मेरे किसी भी, अथवा बैंक की शाखाओं में मेरे नाम से खोले गये बचत खाते करंट अकाउंट, रेकरिंग जमा खाते फिक्स डिपोजिट एवं लॉकर्स में रखी गई सामग्री से अथवा मेरे चल एवं अचल संपत्ति से ऋण की बकाया राशि वसूल कर लें।
12. यदि मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ब्याज ऋण किश्त की अदायगी नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में कालातीत ऋण राशि पर समिति को एक प्रतिशित दण्ड ब्याज प्रभारित करने का अधिकार होगा।
13. यदि मैं उक्त स्वीकृत ऋण राशि आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजन हेतु खर्च नहीं करता हूँ/करती हूँ तो ऐसी स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह एक मुश्त बकाया ऋण राशि वसूल कर सकेगी।
14. मैं समिति को अधिकार देता/देती हूँ कि वह मेरे द्वारा आवेदन पत्र में आवेदित ऋण राशि में आवश्यकतानुसार संशोधन व सुधार कर सकेगी।
- स्वप्रमाणित 4 माह के वेतन पत्रक एवं पाँच खाली चेक संस्था के पक्ष में संलग्न है।

गवाह :

ऋण आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पूरा नाम .....

पद .....

पद .....

पदस्थी स्थान.....

पदस्थी स्थान .....

दिनांक .....

दिनांक .....



## अधिकार-पत्र

म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख.समिति मर्या. द्वारा मुझे रूपये .....लाख का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया है। उक्त ऋण के संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है।

1. मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण वसूली मेरे वेतन से निरंतर की जावेगी। समिति द्वारा बैंक को वेतन से ऋण राशि की कटौती हेतु प्रेषित मांग सूची में से मुझे स्वीकृत ऋण की पूर्ण अदायगी के पूर्व मेरा नाम नहीं हटाया जावेगा। यदि मेरे द्वारा नगद राशि ऋण पेटे जमा कराई भी जाती है तो वह अग्रिम वसूली मानी जावेगी व इससे वेतन से कटौती हेतु प्रेषित मांग सूची प्रभावित नहीं होगी।
2. ऋण की सुरक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा समिति के पक्ष में अग्रिम 5चेक प्रदाय किये गये हैं। यद्यपि मुझे स्वीकृत ऋण की वसूली मेरे वेतन से की जावेगी तथापि वेतन से कटौती नहीं होने से किश्त वसूली में चूक होने की स्थिति में समिति को यह अधिकार प्रदान करता हूँ कि वह उक्त प्राप्त अग्रिम चैक को प्रस्तुत कर सकती है व अनादरित होने की स्थिति में समिति को निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. समिति द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत उक्त अग्रिम चैक अनादरित होने की स्थिति में संबंधित बैंक द्वारा बतौर शुल्क काटी गयी राशि एवं समिति द्वारा प्रभारित शुल्क ऋण खाते से डेबिट करने का अधिकार प्रदान करता /करती हूँ।
4. समिति को यह अधिकार प्रदान करता हूँ कि वह ऋण की किश्त डिफाल्ट होने की स्थिति में नियमानुसार दण्ड ब्याज मेरे ऋण खाते को डेबिट करे।

अधिकारदाता ऋणी

संलग्न:- चेक क्र. .... से

.....तक ( 5 चेक)

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

स्थान .....

दिनांक .....



## घोषणा-पत्र

मेरे द्वारा संस्था से व्यक्तिगत ऋण जिसकी भुगतान अवधि क्रमश 84 माह है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।नियोक्ता बैंक म.प्र. राज्य सहाकारी बैंक मर्यादित, भोपाल में मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक ..... को है इस प्रकार मेरी सेवा अवधि ..... महा की शेष है, जो अवधि 84 माह से कम है । मैं यह स्वीकृति पत्र संस्था की स्वेच्छा से लिखकर दे रहा हूँ/रही हूँ कि यदि संस्था मुझे ऋण आवेदन अनुसार रू. .... का ऋण स्वीकृत करती है तो मैं शेष सेवा अवधि में ऋण की पूरी राशि मय ब्याज के जमा करूंगा । मेरे मासिक वेतन से उपरोक्त कथनानुसार कटौती करके निर्धारित मासिक किश्तें मय ब्याज के वसूली करने हेतु संस्था को सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ । अद्यतन वेतन पत्रक के आधार पर यदि मुझे प्राप्ति योग्य वेतन से संस्था द्वारा निर्धारित किश्त कटौतों की स्थिति नहीं बनती है तो मेरे ऋण आवेदन की राशि उसी अनुपात में ऋण की रकम कम करने का अधिकार भी मैं संस्था को प्रदान करता हूँ /करती हूँ । अतः ऋण आवेदन पत्र की पात्रतानुसार स्वीकृति प्रदान करने की कष्ट करेंगे ।

### गवाह

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पद : .....

स्थान : .....

दिनांक : .....

शपथकर्ता ( ऋणी )

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पद : .....

स्थान : .....

दिनांक : .....



श्रीमान प्रबंधक महोदय  
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक  
कर्म. सह. साख. समिति मर्या.  
मुख्ययालय, भोपाल

## डेबिट अथॉरिटी

मेरे द्वारा संस्था से लिये गये ऋणों की किश्तें यदि किसी कारण वश ( आयकर कटौती अग्रिम इत्यादि ) किसी माह बैंक द्वारा मेरे वेतन से काटकर संस्था में जमा नहीं की जाती है तो उक्त माह की किश्तें मेरे अनिवार्य अमानत खाते को नामे कर वसूल कर लेवें ।

हस्ताक्षर

गवाह का नाम : .....

पदस्थी स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

ऋणी का नाम : .....

पदस्थी स्थान : .....

दिनांक : .....